न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 29/2017 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी भरतपुर।

सायल

बनाम

उमर मौहम्मद पुत्र श्री ईसब जाति मेव मालिक एवं विक्रेता वाहन बौलेरा आर0जे0 32 जीबी 4134 स्थान थाना कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी खाईका तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :–

गैरसायलान स्वयं।

निर्णय

दिनांक : 6.12.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी उपस्थित नहीं। गैरसायल नियत दिनांक को स्वयं उपस्थित। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 7.5.2017 को दोपहर 12.30 पी0एम0 पर थाना कुम्हेर परिसर में खडी बौलेरा पिकअप वाहन संख्या आर0जे0 32 जीबी4135 में पनीर की भेली भरी हुई पायी गई। वाहन में रखे गैरसायल के पनीर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु पलवल से आगरा ले जा रहे करीब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

350 किलोग्राम पनीर पाया गया। जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस – 416 / एक्ट/2017/437 दिनांक 19.5.2017 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (SubStandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का पनीर आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(ZX) & 3(1)(i) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 का उल्लघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर दूध से पनीर आदि तैयार कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध से निर्मित पनीर अवमानक पाया गया है। गैरसायल द्वारा उसी समय से यह व्यवसाय बन्द कर दिया गया है। गैर सायल से यह गलती सहवन से हुई है साथ ही गैरसायल की प्रथम गलती है। चूंकि गैर सायल द्वारा यह कार्य/व्यवसाय बन्द कर दिया गया है इसलिऐ भविष्य में इस भूल का दोहरान होने की संभावना भी समाप्त हो चुकी है। अतः गैरसायल की प्रथम गलत को ध्यान में रखते हुये गैर सायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 7.5.2017 को प्रातः 12.30 पर गैरसायल के पनीर का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस – 416 / एक्ट/2017/437 दिनांक 19.5.2017 के द्वारा अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैर सायल द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई मिलावट न कर दूध विकेताओं से दूध क्रय कर उसका पनीर तैयार करना जाहिर किया है । प्रथम गलती होना भी स्वीकार किया है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न किय जाना भी जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000072 दिनांक 6.12.2017 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.12.2017 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official